



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2016/ज्येष्ठ 24, 1938

No. 411]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2016/JYAISTHA 24, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2016

सा.का.नि. 598(अ)- जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम(केंद्रीय) नियमावली, 1950 में आगे संशोधन हेतु कुछेक मसौदा नियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उप धारा(1) की अपेक्षानुसार सा.का.नि. 973(ड), दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड(i) में प्रकाशित हुए, जिसमें उससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां तथा परामर्श, भारत का राजपत्र जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई, की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तिथि से तीस दिन की अवधि समाप्त होने तक आमंत्रित की गई थीं;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां 15 दिसम्बर, 2015 को जनता को उपलब्ध करवा दी गईं;

और जबकि इस संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या परामर्श प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार क.रा.बी. निगम से परामर्श के पश्चात् क.रा.बी. निगम (केंद्रीय) नियम, 1950 में संशोधन हेतु एतद्वारा आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम(केंद्रीय) संशोधन नियमावली, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा(केंद्रीय) नियमावली, 1950 में, नियम 52 में “एक सौ रुपये” शब्दों के स्थान पर “एक सौ सैंतीस रुपये” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[संख्या एस-38012/01/2015-सा.सु.-1]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियमावली अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ.212, दिनांक 22 जून, 1950 द्वारा भारत का राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप खंड(I) में प्रकाशित की गई थी तथा अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.667(ड), दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 द्वारा अंतिम संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2016

G.S.R. 598(E).— Whereas certain draft rules further to amend the Employees' State Insurance (Central), Rules, 1950 were published, as required by sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 973(E), dated the 15th December, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 15th December, 2015;

And whereas no objection or suggestion has been received from any person in this regard;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 95 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:-

- 1.(1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in rule 52, for the words 'rupees one hundred' the words 'rupees one hundred thirty seven' shall be substituted.

[No.S-38012/01/2015-SS-I]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and last amended vide notification number G.S.R.667(E), dated the 1st October, 2013.